न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 19/2022/(2022/00019) जिला–नागौर

मांगीलाल टांक पुत्र रामजीवण टांक जाति माली निवासी चैनार तहसील व जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

––––प्रत्यर्थी

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, नागौर दिनांक 20–12–2021 अन्तर्गत अपील संख्या 58/2021 बउनवान मांगीलाल बनाम सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्रीमती सविता चौहान, अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 19–04–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हलका हरीमा द्वारा की गई रिपोर्ट कि अपीलार्थी मांगीलाल टांक पुत्र श्री रामजीवण टांक जाति माली निवासी चेनार द्वारा मौजा हरीमा के खसरा नम्बर 760 रकबा 0.18 बीघा किस्म गै0मु0 रास्ता भूमि पर सम्वत 2077 में बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया। अपीलार्थी को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा धारा 91 का नोटिस जारी कर अपीलार्थी को अतिक्रमित रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिनांक 5–1–2021 को पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने

अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20–12–2021 द्वारा खारिज कर दी। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–2021 एवं तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–1–2021 से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार, नागौर के समक्ष अपीलार्थी ने उपस्थित होकर विवादित आराजियात की मौके की जांच कर एवं नाप चौप करवाने हेतु लिखित में जवाब प्रस्तुत किया जिस पर तहसीलदार द्वारा कोई कार्यवाही नही की और ना ही अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया मात्र अपीलार्थी के रिक्त आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाकर आदेश दिनांक 5–1–2021 पारित कर दिया जिसके विरूद्ध जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिन्होंने भी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दलीलो एवं साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए आदेश दिनांक 20–12–2021 पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध लगभग 36 वर्ष पूर्व तहसीलदार, नागौर द्वारा अतिक्रमण की कार्यवाही की गई थी तत्समय सम्पूर्ण नाप चौप किया गया था एवं उक्त रिपोर्ट के आधार अपीलार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को अवैध व शून्य घोषित किया गया। वर्तमान में हलका पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पुनः धारा 91 के तहत कार्यवाही नये सिरे से की गई जिस पर अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर समस्त तथ्य मय जवाब प्रस्तुत किये गये और कहा कि अपीलार्थी उपरोक्त आराजियात पर 40 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज चला आ रहा है। अपीलार्थी के खेतों की सीमाओं में रास्ते की भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं रहा है तथा नक्शा ट्रेस पुराना व नया में अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 787, 788 के पास में गै0मु0 रास्ता चला आ रहा है। अपीलार्थी से रंजिश रखने वाले व्यक्ति की झूठी शिकायत पर यह मामला बनाया गया है जो बिल्कुल ही गलत है। तहसीलदार नागौर द्वारा पूर्व में की गई कार्यवाही के सन्दर्भ में कोई भी पत्रावली तलब नहीं की गई जिससे किसी भी प्रकार की जांच पूर्ववर्ती कार्यवाही के सन्दर्भ में नहीं हुई और आदेश दिनांक 5–1–2021 तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित कर दिया जिसके विरूद्ध जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की और दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के माध्यम से कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज नहीं

दिया जाना दर्शाते हुए जिला कलक्टर नागौर द्वारा अपीलार्थी की अपील दिनांक 20–12–2021 द्वारा खारिज कर दी।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी ने अपने जवाब में तहसीलदार, नागौर के समक्ष हलका पटवारी हरीमा की रिपोर्ट दिनांक 24–12–2020 के आधार पर खसरा नम्बर 760 गै0मु0 रास्ता पर बाड़ा व मकान बनाकर कब्जा करना दर्शाया जिसका जवाब प्रस्तुत करते हुए अपलार्थी ने यह सिद्ध किया था कि उपरोक्त मकान 40 वर्ष पुराने है जो अचानक से निर्मित नहीं हुए तथा अपीलार्थी का कोई कब्जा रास्ते की भूमि पर नहीं है। उक्त प्रकरण से संबंधित पूर्व कार्यवाहियों की नकल एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय भी चाहा गया जो तहसीलदार द्वारा नहीं देकर पटवारी हलका की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 5–1–2021 पारित कर दिया। तहसीलदार, नागौर के आदेश दिनांक 5–1–2021 के विरूद्ध जिला कलक्टर, नागौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिनके द्वारा भी अपीलार्थी की अपील निर्णय दिनांक 20–12–2021 से खारिज कर दी। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–2021 एवं तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–1–2021 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थी के राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा 36 वर्षे पूर्व विवादित आराजियात गै0मु0 रास्ता के नाप चौप के संबंध में हस्तगत अपील के साथ कोई साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये गये। इसके अतिरिक्त 36 वर्षे पूर्व की नाप चौप रिपोर्ट का वर्तमान अतिक्रमण की कार्यवाही से किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं हो सकता है। तत्समय 36 वर्ष पूर्व यदि कोई अतिक्रमण नहीं रहा था, तो उसके आधार पर अब वर्तमान में अपीलार्थी द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, यह तथ्य स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा पटवारी हलका हरीमा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम हरीमा के खसरा नम्बर 760 गै0मु0 रास्ते की 0.18 बीघा भूमि पर बाड़ा व मकान बनाकर अतिक्रमण किया है जिस पर सन्देह करने का कोई कारण नहीं है। जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–12–2021 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पटवारी हलका हरीमा द्वारा दिनांक 24–12–2020 को तहसीलदार, नागौर को अपीलार्थी मांगीलाल टांक पुत्र रामजीवण टांक द्वारा राजकीय भूमि खसरा नम्बर 760 रकबा 0.18 बीघा किस्म गै0मु0रास्ता पर पर अनाधिकृत बाड़ा मकान बनाकर कब्जा करने के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, नागौर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा–91 के तहत कार्यवाही कर अपीलार्थी को अतिक्रमित रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिनांक 5–1–2021 को पारित कर दिया।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हलका हरीमा द्वारा तहसीलदार, नागौर को अपीलार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से बाड़ा व मकान बनाकर कब्जा करने बाबत रिपोर्ट प्रेषित की है उक्त रिपोर्ट के साथ कोई मौका रिपोर्ट संलग्न नहीं है तथा न ही किसी भी ग्रामवासियों के हस्ताक्षर लिये गये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न श्री घनश्याम पुत्र हरीराम निवासी चेनार, लिच्छूराम पुत्र श्री भाणुराम निवासी चेनार तहसील नागौर, श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री लाबूराम निवासी चेनार तहसील नागौर द्वारा बयानों में उल्लेख किया है कि अपीलार्थी का कटाणी रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं है अपीलार्थी के खेत में बनी ढाणी व बाड़े के उत्तर दिशा में पिछले 40 वर्षो से रास्ता चलता आ रहा है जो आज दिन भी चल रहा है। पटवारी हलका की रिपोर्ट दिनांक 24–12–2020 से यह प्रतीत नहीं होता है कि अपीलार्थी द्वारा कब्जा कब व कितने समय पूर्व किया है।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पटवारी हलका की रिपोर्ट दिनांक 24–12–2020 से यह दृष्टिगोचर नहीं होता है कि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 760 रकबा 0.18 गै0मु0रास्ता के संबंध में किसी प्रकार से मौके की जांच की हो। अपीलार्थी का यह भी कथन है कि अपीलार्थी का खसरा नम्बर 760 रास्ते की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है और न ही रास्ते की किसी भू–भाग पर कब्जा रहा है। अपीलार्थी के खेत खसरा नम्बर 787, 788 खातेदारी कब्जे की भूमि रही है जिस पर अपीलार्थी पिछले 40 वर्षो से भी अधिक समय से कदीमी रूप से खातेदार के रूप में काश्त कर रहा है तथा अपने खातेदारी के खेत में बडेर के समय से पिछले लगभग 50 वर्षो से भी ज्यादा समय से ढाणी बनाकर निवास कर रहा है। तहसीलदार नागौर ने अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया जिस पर अपीलार्थी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 20–12–2021 एवं तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–1–2021

पारित करने से पूर्व अपीलार्थी की विवादित आराजियात पर कब्जे की कोई जांच नहीं की एव ंना ही कोई मौका रिपोर्ट तैयार की गई तथा न ही अपीलार्थी को साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20–12–2021 व तहसीलदार, नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5–1–2021 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार, नागौर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजियात खसरा नम्बर 760 रकबा 0.18 की मौके की जांच कर मौका रिपोर्ट तैयार कर प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य व सबूत पेश करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 19–04–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर